भैरुराम बनाम नारायण मु.नं. 49/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.6.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट......रद्द......... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 49 / 2021

1 भैरूराम पुत्र श्री गोमाराम उम्र साल जाति जाट निवासी ढाणी श्यामलावाली तन जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 नारायण पुत्र गोमाराम
2 भागीरथ पुत्र मंगला
3 श्योपाल पुत्र मंगला
4 प्रभात पुत्र मंगला नाबालिग जरिये संरक्षिका माता खुद रूकमणी बेवा मंगला
5 रूकमणी बेवा मंगला
6 जीवली पत्नी नारायण
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
7 कजोड़ पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी राणीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
8 भागीरथ पुत्र देवराम जाति जाट निवासी ढाणी बराला तन जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर।
9 रिछपाल पुत्र परता जाति जाट निवासी बराला तन जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. मृत।
9 / 1 सुरेन्द्र पुत्र रिछपाल
10 उप पंजीयक तहसील खण्डेला
11 भूमिधार राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला
12 रोहिताश पुत्र नारायण दत्तक पुत्र हीरा जाति जाट निवासी जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
13 नारायण लाल सोनी पुत्र श्री मक्खन लाल जाति सोनी
14 निरंजन लाल सोनी पुत्र मक्खन लाल जाति सोनी
निवासीगण वार्ड नम्बर 17 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 पवन कुमार चौधरी पुत्र मक्खन लाल जाति महाजन
16 विकास कुमार पुत्र पवन कुमार जाति महाजन
निवासीगण वार्ड नम्बर 23 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
17 श्रवण कुमार पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी ढाणी मुसालवाली उर्फ नोपावाली ग्राम जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
18 श्रवण पुत्र बालुराम
19 बहादुर पुत्र बालुराम
20 लाडा पत्नी बालुराम
21 कमली पुत्री बालुराम
22 फूलाराम पुत्र गोविन्दा
23 म्हादू पुत्र पदमा
24 कालू पुत्र पदमा मृत
24/1 मुकेश पुत्र कालू
25 चन्द्रा पुत्री पदमा
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी करमड़ी तन जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2021
बउनवानी दावा भैरूराम बनाम नारायण आदि दावा
संख्या 733/2013 अदालत सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.)
खण्डेला जिला सीकर राज.।
अपील अ.धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थिति :

1. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोमनाथ शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री राजेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

3

–निर्णय–

दिनांकः– 23/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 733/2013 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने ग्राम जाजोद तहसील खण्डेला की भूमि खसरा नम्बर 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 573, 574 के संदर्भ में दावा बाबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा दुरूस्ती रिकार्ड व बंटवारा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता/वादी भूमि खसरा नम्बर 554, 563, 564, 565 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 567 का दक्षिणी हिस्सा 1/2 व आबादी भूमि खसरा नम्बर 555 रकबा 0.03 हैक्टेयर की भूमि अपीलकर्ता/वादी के भाई बंटवारे में आयी है तथा खसरा नम्बर 557, 558, 562, 569 को सम्पूर्ण रकबा मृतक हीरा के आया है तथा चाह में लगे पम्पींग सेट व विद्युत कनेक्शन में अपीलकर्ता/वादी 1/4 एवं मृतक हीरा 1/4 हिस्सा आया है मृतक हीरा ने दिनांक 04.04.91 को एक वसीयत रजिस्टर्ड कराकर उसके द्वारा अपने हक, हिस्सा की भूमि का 1/4 हिस्सा अपीलकर्ता/वादी को वसीयत में दिया गया। मृतक हीरा के हिस्से की भूमि में वसीयत के द्वारा प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 562 रकबा 0.64 हैक्टेयर एवं चाह एवं विद्युत पम्पींग सेट से 1/16 हिस्सा अपीलकर्ता/वादी को हीरा से वसीयत में प्राप्त हुआ है उक्तानुसार अपीलकर्ता/वादी वादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 554, 564, 565 की सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 567 का दक्षिणी हिस्सा 0.55 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 555 का रकबा 0.03 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 562 रकबा 0.64 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि तथा चाह एवं विद्युत सेट में कुल 5/16 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाकर तदनुसार शेष प्रतिवादीगण का नाम हजफ करवाकर अपने उक्त क, अधिकार की भूमि के अधिकारों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 97 तथा प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 के हक में पंजीकृत विक्रय लेख बेअसर अवैध घोषित कराने का हक, अधिकारी है। मृतक हीरा द्वारा की गई वसीयत दिनांक 04.04.1991 उप पंजीयक श्रीमाधोपुर के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त वसीयत के गवाह पीडब्ल्यू–2 गवाह मखन लाल ने अपनी शहादत द्वारा वसीयत को साबित किया है उक्त वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय में पक्षकारान ने चुनौती नहीं दी है। जब तक वसीयत सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की जाती है तब तक उसमें प्राप्त हक, अधिकारों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ता है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, पक्षकारान व गवाहान के बयानात के आधार पर कानूनन तनकी संख्या 1 ता 3 पूर्णतया अपीलकर्ता/वादी के हक में सिद्ध है परन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य व अभिकथनों को कानूनी प्रपेक्ष में सही तरीके से विवेचन नही कर तनकी संख्या 1 ता 3 वादी के विरूद्ध तय करने में कानूनी एवं वाक्याती गलती की है। वादग्रस्त भमि में मृतक मंगला का विरासत का नामान्तकरण भरा गया। उस समय 1/4 हिस्सा की खातेदारी हीरा के नाम दर्ज कर दी थी अर्थात मृतक हीरा 1/4 हिस्सा का काबिज खातेदार, काश्तकार था इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का विवेचन किये बिना ही इस तनकी को अपीलकर्ता के विरूद्ध तय करने में कानूनी एवं वाक्याती गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नारायण ने मृतक हीरा को विश्वास में लेकर गलत रूप से अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 12 रोहिताश के हक में गोदनामा प्रलेख दिनांक 12.03.91 को तस्दीक करवा लिया जबकि हीरा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को गोद नहीं लिया, न ही गोद लेने व देने की प्रकिया अपनाई गई है इस तथ्य की जानकारी होने पर मृतक हीरा ने इसे निरस्त करवाने का इकरारनामा उपपंजीयक श्रीमाधोपुर के यहां पंजीकृत करा दिया जिसे रेस्पोडेन्ट नारायण व पिता रोहिताश ने स्वीकार किया है तमाम सरकारी रिकार्ड, स्कूल एवं मतदाता सूची में रेस्पोडेन्ट संख्या 12 रोहिताश नारायण का पुत्र दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नारायण का रेस्पोडेन्ट संख्या 12 रोहिताश एकमात्र पुत्र दिनांक 12.03.91 को था तथा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण्ण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत एकमात्र पुत्र को कानूनन गोद नहीं दिया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्नी जीवणी रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की जायन्दा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

माता है दत्तक प्रलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि जीवणी के द्वारा गोद दिया जाना प्रकट नहीं है न उसके गोदनामा प्रलेख पर हस्ताक्षर है जबकि कानूनन गोद देने के लिए गोद देने वाले पुत्र के माता पिता जीवित एवं सक्षम है तो दोनों की सहमति आवश्यक है जो उक्त दस्तावेज गोदनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि जीवणी की सहमति एंव गोद दिया जाना प्रकट नहीं है इसलिए तथाकथित गोदनामा प्रलेख शुन्य दस्तावेज है जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को कानूनन कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9(2) के प्रावधान स्पष्ट है। दौराने दावा रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 12 के नाम मृतक हीरा की भूमि की खातेदारी पुत्र मानकर नामान्तकरण संख्या 97 भरा गया है जो शुन्य व प्रभावहीन है माननीय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी संख्या– 5740/2013 सीकर उनवानी भैरूराम बनाम रोहिताश आदि निर्णय दिनांक 03.12.2013 जो दावा में प्रदर्श–20 है का निर्णय पारित कर उक्त नामान्तकरण संख्या 97 विवादित घोषित कर जमाबन्दी में नोट लगाया गया है तथा राजस्व मण्डल अजमेर कैम्प जयपुर ने बउनवानी भैरूराम बनाम रोहिताश आदि में दिनांक 21.05.2008 के द्वारा विवादित आराजी को रहन व मुन्तकील न करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जो आज भी प्रभावी है इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 12 ने वादग्रस्त कृषि भूमि में से अपने तथाकथित हिस्से की भूमियों का दिनांक 24.09. 2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ता 17 के हक में तीन अलग अलग विक्रय पत्र पंजीकृत करवाये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 12 रोहिताश मृतक हीरा का दत्तक पुत्र नही है तथाकथित मृतक द्वारा ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को गोद लिया है न ही कानूनी प्रक्रिया की पूर्ण की, केवल मात्र हीरा की सम्पत्ति को हड़पने की नियत से रेस्पोडेन्ट नारायण संख्या 1 ने साजिशी कार्यवाही के तहत गोद प्रलेख बाला–बाला पंजीयन करवाया है। जिसे हीरा ने अपने विलेख दिनांक 03.04.1991 के द्वारा गोद को निरस्त कर दिया जो पत्रावली पर प्रदर्श दो है जो पंजीबद्ध है इसलिए हीरा नाऔलाद फौत हुआ है निरस्त गोद प्रलेख पर रेस्पोडेन्ट नारायण के सहमति के हस्ताक्षर है अर्थात गोद निरस्त के प्रलेख प्रदर्श दो बाबत रेस्पोडेन्ट नारायण सहमत था इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 10 को अपीलकर्ता के विरूद्ध तय करने में कानूनी गलती की है। वसीयत पंजीकृत दस्तावेज है जिसे निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत प्रकरण के किसी भी पक्षकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। अपीलकर्ता को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 12 द्वारा स्थगन आदेश के यथावत जारी रहने के दौरान वादग्रस्त कृषि में से तीन विक्रय प्रलेख दिनांक 24.09.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ता 17 के पक्ष में पंजीकृत करवाये है जिसे चुनौती देने का अपीलकर्ता को कानूनन अधिकार है क्योंकि हीरा ने वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने 1/4 में से 1/4 हिस्सा अपीलकर्ता को वसीयत द्वारा प्रदान किया है वसीयत पंजीकृत व वैध है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 17 ने गलत दस्तावेजात की आड़ में हीरा के हिस्से की भूमि का अन्तरण गलत किया है जिससे अपीलकर्ता के वसीयती हक, अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़कर प्रभावित हुए है इसलिए अन्तरण प्रलेखों को चुनौती देने का अपीलकर्ता को हक व अधिकार है। तथाकथित वसीयत पंजीकृत है तथा वसीयत के लिए राजस्थान में लेटर ऑफ प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है जो भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के प्रावधानों से स्पष्ट है। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपीलकर्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने के बाद निर्णय हेतु बिना तारीख पेश दिये रिजर्व रखा गया था। कोविड–19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान अपीलकर्ता व उसके अधिवक्ता द्वारा बार–बार पीठासीन अधिकारी व रीडर से निर्णय व डिक्री के संबंध में पुछते रहे है हर बार यही कहा गया कि निर्णय व डिक्री पारित करने के बाद पक्षकारों को सूचना दे दी जावेगी। परंतु विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिये गये निर्देशों के बावजूद निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2021 को पारित की है जिसकी कोई सूचना अपीलकर्ता व उसके वकील को नही दी अपीलकर्ता को सर्वप्रथम विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2021 की जानकारी संबंधित पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.06.2021 को दूरभाष पर दी गई जिस पर नकल हेतु आवेदन लेकर नकल लेकर अपील जानकारी तिथि से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2021 बउनवानी दावा भैरूराम बनाम नारायण आदि संख्या 733/2013 अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला जिला सीकर निरस्त किया जाकर अपीलकर्ता/वादी का दावा संख्या 733/2013 डिक्री किया जाने का आदेश पारित किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2024(1) पेज 432, डीएनजे 2023(4) एससी पेज 1354, डीएनजे 2009(2) राज पेज 720, डीएनजे 2020 एससी पेज 406,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डीएनजे 2020 रेव पेज 162, आरआरटी 2013(2) पेज 1033, आरआरडी 1996 पेज 148, डीएनजे 2008(1) पेज 288 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 554 से 560, 562 से 565, 567 से 570, 573, 574 कुल किता 17 रकबा 10.41 हैक्टेयर तन जाजोद तहसील खण्डेला का भूमि की अच्छी–बुरी स्थिति व काश्त की सुविधा से 30 साल पूर्व बंटवारा आपसी सहमति से सहकाश्तकारान ने कर लिया था। बाहमी बंटवारा के अनुसार वादी के हिस्सा में भूमि खसरा नम्बर 554, 563, 564, 565 का सम्पूर्ण रकबा व खसरा संख्या 567 का 1/2 हिस्सा दक्षिण की तरफ का व आबादी भूमि खसरा नम्बर 555 रकबा 0.05 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा वादी के हिस्सा में आया जाना दर्शित किया गया है। हिस्सा में आयी भूमि की खातेदारी बंटवारा के अनुसार वादी भैरूराम वादी भैरूराम अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी होना दर्शित किया गया है। उक्त तथ्यों को वादी स्वयं पी.डब्ल्यू 1 एवं स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 4 चन्द्रा पुत्र धन्नाराम ने अपने शपथ पत्रों में अभिकथित किया है एवं शपथ पत्रों की गयी जिरह में उक्त तथ्यों की ताहिद की है किन्तु वादी का दावा उक्त बाहमी बंटवारा के साथ–साथ वसीयत दिनांक 04.04.1991 पर आधारित है उक्त वसीयत मृतक खातेदार हीरा द्वारा पूर्व में निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांकित 12.03.91 के अस्तित्व में रहते निष्पादित की गयी है अर्थात गोदनामें को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है। मृतक हीरालाल के 1/4 हिस्सा मे से 1/4 हिस्सा अर्थात 1/16 हिस्सा के संबंध में पंजीकृत वसीयत लेख दिनांकित 04.04.91 को आधार मानते हुए वादी द्वारा खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाहा है किन्तु उक्त रजिस्टर्ड वसीयत लेख के निष्पादन से पूर्व उक्त मृतक खातेदार हीरालाल द्वारा दिनांक 12.03.91 को प्रतिवादी संख्या 12 रोहिताश को गोद लेते हुए रजिस्टर्ड गोदनामा तस्दीक करवा लिया था जो प्रदर्श डी–1 है। वादी का यह कथन है कि उक्त गोदनामें की जानकारी होते ही ईकरारनामें द्वारा उक्त गोदनामें को मृतक हीरालाल द्वारा दिनांक 03.04.1991 को उप पंजीयक श्रीमाधोपुर के यहां गोदनामा निरस्त लेख तस्दीक करवाकर निरस्त करवा लिया था जो प्रदर्श पी–13 है। वादी का यह भी कथन है कि उक्त गोदनामें में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है तथा न ही गोद लेने व देने की रस्मों का पालन किया गया है। वादी के उक्त कथन गाह्य नहीं है क्योंकि उक्त गोदनामा निरस्त लेख उप पंजीयक श्रीमाधोपुर के यहां प्रस्तुत किया गया है। किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही कर निरस्त नहीं करवाया गया है। दौराने दावा प्रतिवादी नम्बर 12 के नाम मृतक हीरा की भूमि की खातेदारी पुत्र मानकर नामान्तकरण संख्या 97 भर दिया गया जो शुन्य व प्रभावहीन है एवं रेवेन्यू बोर्ड ने इस नामान्तकरण की बाबत जमाबंदी में नोट लगा दिया कि दावा का निर्णय होगा, वही प्रभावी होगा। इस प्रकार नामान्तकरण प्रभावहीन होना दर्शित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 12 के नाम दर्ज नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 14.02.1993 गोदलेख दिनांकित 12.03.1991 के विधिक रूप से अस्तित्व में रहते हुए भरा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने खातेदारी हिस्से में से तथा प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा नामान्तकरण संख्या 97 दिनांकित 14.02.1993 से प्राप्त खातेदारी हक हिस्से में से उक्त वर्णित तीनों विकय लेख दिनांकित 24.09.2013 निष्पादित किये है। प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख सदभावी केता है जिन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांकित 12.03.91 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 14.02.93 के आधार पर हीरा का दत्तक पुत्र दर्ज होते हुए खातेदार दर्ज हुआ है जबकि वादी द्वारा वर्णित वसीयत दिनांकित 04.04.91 उक्त रजिस्टर्ड गोदनामें को सक्षम न्यायालय से बिना निरस्त करवाये निष्पादित की गयी है। मृतक हीरा नाऔलाद देहांत नहीं हुआ बल्कि प्रतिवादी नम्बर 12 उसका गोदगृहिता पुत्र होना दर्शित किया गया है। चूंकि मृतक हीरा द्वारा दिनांक 12.03.91 को प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित किया गया है जो आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। वसीयत दिनांकित 04.04.91 रजिस्टर्ड गोदनामें दिनांकित 12.03.91 के अस्तित्व में रहते हुये अर्थात किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना निष्पादित की गयी है जिसके आधार पर वादी खातेदार हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वसीयत दिनांकित 04.04.91 रजिस्टर्ड गोदनामें दिनांकित 12.03.91 के अस्तित्व में रहते हुये अर्थात किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बिना निष्पादित की गयी है जिसके आधार पर वादी खातेदार हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट का कथन रहा है कि अपीलकर्ता/वादी भूमि खसरा नम्बर 554, 563, 564, 565 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 567 का दक्षिणी हिस्सा 1/2 व आबादी भूमि खसरा नम्बर 555 रकबा 0.03 हैक्टेयर की भूमि अपीलकर्ता/वादी के भाई बंटवारे में आयी है तथा खसरा नम्बर 557, 558, 562, 569 को सम्पूर्ण रकबा मृतक हीरा के आया है तथा चाह में लगे पम्पींग सेट व विद्युत कनेक्शन में अपीलकर्ता/वादी 1/4 एवं मृतक हीरा 1/4 हिस्सा आया है मृतक हीरा ने दिनांक 04.04.91 को एक वसीयत रजिस्टर्ड कराकर उसके द्वारा अपने हक, हिस्सा की भूमि का 1/4 हिस्सा अपीलकर्ता/वादी को वसीयत में दिया गया। मृतक हीरा के हिस्से की भूमि में वसीयत के द्वारा प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 562 रकबा 0.64 हैक्टेयर एवं चाह एवं विद्युत पम्पींग सेट से 1/16 हिस्सा अपीलकर्ता/वादी को हीरा से वसीयत में प्राप्त हुआ है उक्तानुसार अपीलकर्ता/वादी वादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 554, 564, 565 की सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 567 का दक्षिणी हिस्सा 0.55 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 555 का रकबा 0.03 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 562 रकबा 0.64 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि तथा चाह एवं विद्युत सेट में कुल 5/16 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाकर तदनुसार शेष प्रतिवादीगण का नाम हजफ करवाकर अपने उक्त क, अधिकार की भूमि के अधिकारों के विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 97 तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिवादी संख्या 13 ता 17 के हक में पंजीकृत विक्रय लेख बेअसर अवैध घोषित कराने का हक, अधिकारी है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि मृतक हीरा द्वारा की गई वसीयत दिनांक 04.04.1991 उप पंजीयक श्रीमाधोपुर के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त वसीयत के गवाह पीडब्ल्यू–2 गवाह मखन लाल ने अपनी शहादत द्वारा वसीयत को साबित किया है उक्त वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय में पक्षकारान ने चुनौती नहीं दी है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक वसीयत सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की जाती है तब तक उसमें प्राप्त हक, अधिकारों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ता है। विचारण न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, पक्षकारान व गवाहान के बयानात का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य व अभिकथनों का विधि के परिप्रेक्ष्य में सही तरीके से विवेचन नही कर तनकी संख्या 1 ता 3 वादी के विरूद्ध तय करने में विधिक त्रुटि की है। वादग्रस्त भुमि में मृतक मंगला का विरासत का नामान्तकरण भरा गया। उस समय 1/4 हिस्सा की खातेदारी हीरा के नाम दर्ज कर दी थी अर्थात मृतक हीरा 1/4 हिस्सा का काबिज खातेदार, काश्तकार था इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का विवेचन किये बिना ही वाद वादी अपीलकर्ता के विरूद्ध तय करने में विधिक त्रुटि की है।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नारायण ने मृतक हीरा को विश्वास में लेकर गलत रूप से अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 12 रोहिताश के हक में गोदनामा प्रलेख दिनांक 12.03.91 को तस्दीक करवा लिया जबकि हीरा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को गोद नहीं लिया, न ही गोद लेने व देने की प्रकिया अपनाई गई है इस तथ्य की जानकारी होने पर मृतक हीरा ने इसे निरस्त करवाने का इकरारनामा उपपंजीयक श्रीमाधोपुर के यहां पंजीकृत करा दिया जिसे रेस्पोडेन्ट नारायण व पिता रोहिताश ने

मू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्वीकार किया है तमाम सरकारी रिकार्ड, स्कूल एवं मतदाता सूची में रेस्पोडेन्ट संख्या 12 रोहिताश नारायण का पुत्र दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नारायण का रेस्पोडेन्ट संख्या 12 रोहिताश एकमात्र पुत्र दिनांक 12.03.91 को था तथा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण्ण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत एकमात्र पुत्र को कानूनन गोद नहीं दिया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्नी जीवणी रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की जायन्दा माता है दत्तक प्रलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि जीवणी के द्वारा गोद दिया जाना प्रकट नहीं है न उसके गोदनामा प्रलेख पर हस्ताक्षर है जबकि कानूनन गोद देने के लिए गोद देने वाले पुत्र के माता पिता जीवित एवं सक्षम है तो दोनों की सहमति आवश्यक है जो उक्त दस्तावेज गोदनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि जीवणी की सहमति एंव गोद दिया जाना प्रकट नहीं है इसलिए तथाकथित गोदनामा प्रलेख शुन्य दस्तावेज है जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को कानूनन कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9(2) के प्रावधान स्पष्ट है।

प्रस्तुत प्रकरण में दौराने दावा रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 12 के नाम मृतक हीरा की भूमि की खातेदारी पुत्र मानकर नामान्तकरण संख्या 97 भरा गया है इस संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी संख्या–5740/2013 सीकर उनवानी भैरूराम बनाम रोहिताश आदि निर्णय दिनांक 03.12.2013 दावा में प्रदर्श–20 है, का निर्णय पारित कर उक्त नामान्तकरण संख्या 97 विवादित घोषित कर जमाबन्दी में नोट लगाया गया है तथा राजस्व मण्डल अजमेर कैम्प जयपुर ने बउनवानी भैरूराम बनाम रोहिताश आदि में दिनांक 21.05.2008 के द्वारा विवादित आराजी को रहन व मुन्तकील न करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जो आज भी प्रभावी है इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 12 ने वादग्रस्त कृषि भूमि में से अपने तथाकथित हिस्से की भूमियों का दिनांक 24.09.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ता 17 के हक में तीन अलग अलग विक्रय पत्र पंजीकृत करवाये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 12 रोहिताश मृतक हीरा का दत्तक पुत्र नही है तथाकथित मृतक द्वारा ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 12 को गोद लिया है न ही कानूनी प्रक्रिया की पूर्ण की, जिसे हीरा ने अपने विलेख दिनांक 03.04.1991 के द्वारा गोद को निरस्त कर दिया जो पत्रावली पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रदर्श दो है जो पंजीबद्ध है इसलिए हीरा नाऔलाद फौत हुआ है निरस्त गोद प्रलेख पर रेस्पोडेन्ट नारायण के सहमति के हस्ताक्षर है अर्थात गोद निरस्त के प्रलेख प्रदर्श दो बाबत रेस्पोडेन्ट नारायण सहमत था इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 10 को अपीलकर्ता के विरूद्ध तय करने में विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि वसीयत पंजीकृत दस्तावेज है जिसे निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत प्रकरण के किसी भी पक्षकार ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। अपीलकर्ता को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 12 द्वारा स्थगन आदेश के यथावत जारी रहने के दौरान वादग्रस्त कृषि में से तीन विक्रय प्रलेख दिनांक 24.09.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ता 17 के पक्ष में पंजीकृत करवाये है जिसे चुनौती देने का अपीलकर्ता को कानूनन अधिकार है क्योंकि हीरा ने वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने 1/4 में से 1/4 हिस्सा अपीलकर्ता को वसीयत द्वारा प्रदान किया है वसीयत पंजीकृत व वैध है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 17 ने गलत दस्तावेजात की आड़ में हीरा के हिस्से की भूमि का अन्तरण गलत किया है जिससे अपीलकर्ता के वसीयती हक, अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़कर प्रभावित हुए है इसलिए अन्तरण प्रलेखों को चुनौती देने का अपीलकर्ता को हक व अधिकार है। तथाकथित वसीयत पंजीकृत है तथा वसीयत के लिए राजस्थान में लेटर ऑफ प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है जो भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के प्रावधानों से स्पष्ट है।

विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में तनकी अनुसार विस्तृत विवेचन व विश्लेषण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विस्तृत विवेचन व

पदेन, राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विश्लेषण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 23/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर